न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)

15-9-201—

555 / 15.9.14

R-3386-III/14

सुर्यलाल यादव तनय किशोर यादव उम्र- 70 साल निवासी कैलाशपुर तहसील- हनुमना जिला रीवा म०प्र० ===== आवेदक

बनाम

1- हीरालाल यादव तनय राजमणि यादव निवासी कैलाशपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

2- शासन म०प्र० ===== अनावेदकगण।

श्री एल.एन. शुक्ला एड के द्वारा आज दिनांक 15-9-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर 15.9.14
क्रमांक 3097 सर्किट कोर्ट रीवा
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त 22-9-14
[illegible] आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय राजस्व मंडल खटखरी तहसील- हनुमना जिला रीवा (म०प्र०) प्रकरण क्रमांक 13अ/12-13 आदेश दिनांक 12/07/2014

==

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.

==

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त विवरण-

01:- यहकि भूमि नम्बर 681 रकबा 0.251 हे० स्थित ग्राम कैलाशपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० की भूमि संयुक्त खाते की भूमि थी जिसमें सह खातेदार सुर्यलाल सुर्यभान, हरिवंश, सुर्यप्रसाद तनय किशोर 1/4 भाग था जिसको अनावेदक क्रमांक- 01 चोरी छिपे अपने नाम नामान्तरण करा लिया, जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील- हनुमना जिला रीवा के यहां

क्रमशः:2.. //पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग -3386—तीन—.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सूर्यलाल / हीरालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—02—2016	यह निगरानी नायब तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 13 / अ—12 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 12.7.14 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस. शुक्ला उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध के अनुक्रम में मेरे द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित किया गया है कि विवादित भूमि कमांक 681 रकबा 0.251 है, का सीमांकन अनावेदक 1 द्वारा करा लिया गया जबकि यह भूमि सहखाते की थी जिसका बटवारा एवं नक्शा तरमीम अनावेदक द्वारा चोरी छिपे बिना आवेदक को सूचना दिए करा लिया था जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी होने पर आवेदक द्वारा की थी है जिसका प्रकरण कमांक 40 / अ—6 / 13—14 है जिसमें आदेश दिनांक 26.2.14 को स्थगन भी दिया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का सीमांकन भी आवेदक को बिना बताए ही कर राजस्व निरीक्षक से मिल कर करा लिया गया जिसकी आपत्ति मेरे द्वारा जानकारी होने पर दिनांक 23.5.14 को नायब तहसीलदार के समक्ष की गयी। प्रस्तुत	

प्रकरण कमांक निग -3386–तीन–.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सूर्यलाल / हीरालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आपत्ति नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दी गयी और सीमांकन कार्यवाही की अपने आक्षेपित आदेश से पुष्टि कर दी गयी। सीमांकन कार्यवाही दिनांक 24.4.14 के संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि सूचना पत्र पर जारी होने का दिनांक अंकित नहीं है, वहीं वह किन–2 सरहदी कृषकों को जारी किया गया है इसका भी उल्लेख सूचना पत्र में नहीं है साथ ही सूचना पत्र का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सूचना पत्र उसी दिनांक 26.4.14 को ही जारी किया जाना परिलक्षित हो रहा है जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे यह तो स्पष्ट हैं कि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकार जो कार्यवाही सीमांकन की की गयी है वह संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने से अनुचित है। स्थल पंचनामा पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि आवेदक द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि विवादित भूमि सहखाते की भूमि है जिसका बटवारा एवं नक्शा तरमीम अनावेदक 1 द्वारा चोरी छिपे बिना आवेदक को बताए करा लिया गया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में प्रचलित है। अतः प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विवादित भूमि के संबंध में सीमांकन के अलावा बटवारा एवं नक्शा तरमीम के संबंध में अपील विचाराधीन होने से अपील के निराकरण के पूर्व विवादित बटवारा एवं नक्शा तरमीम को आधार मान कर किया गया सीमांकन उचित प्रतीत नहीं होता	

प्रकरण कमांक निग -3386–तीन–.2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सूर्यलाल / हीरालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। इसके साथ ही आक्षेपित सीमांकन आवेदक को बिना बताए एवं बिना सूचना दिए किया जाना अभिलेख से परिलक्षित हो रहा है। अतः ऐसा सीमांकन किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। चूंकि प्रकरण में विवादित भूमि के बटवारा एवं नक्शा तरमीम के संबंध में प्रचलित अपील के संबंध में कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 12.7.14 प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि यदि विवादित भूमि के नक्शा तरमीम एवं बटवारा के संबंध में कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रचलित है तो उसका निराकरण हो जाने के पश्चात अपील में पारित आदेश के अनुक्रम में विधिवत संहिता की धारा 129 के तहत नये सिरे से सीमांकन की कार्यवाही सर्व संबंधित हितबद्ध एवं सरहदी कृषकों को सूचना दी जाकर स्थायी बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों को आधार मान कर की जावे। उभय पक्षकारों को भी आदेशित किया जाता है कि प्रचालित अपील का निराकरण शीघ्र कराये जाने का प्रयास करें तत्पश्चात सीमांकन की कार्यवाही अपील में पारित आदेश के अनुक्रम में संपन्न कराये जाने में अधीनस्थ न्यायालय का सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	

प्रकरण कमांक **निग** -3386–तीन–.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आंदेश सूर्यलाल / हीरालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो। 10.2.16 **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	